"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल 2003—वैशाख 5, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक 751/2003/1-8/स्था.—श्री देवाशीष दास (भावसे) संयुक्त सचिव, बायोटेक्नालॉजी एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, को दिनांक 7-10-2002 से 8-11-2002 तक 33 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 6-10-2002 एवं 9 से 10-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री देवाशीष दास, (भावसे) को पुन: संयुक्त सचिव, बायोटेक्नालॉजी एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, में पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

3. अवकाश अवधि में श्री दास को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवाशीष दास अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, बायोटेक्नालॉजी एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स, के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ ए. 4-22/2002/1/एक.—श्री पी. सी. नायक, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 6-3-2003 से 17-3-2003 तक 12 दिवस का पूर्ण वेतन, भत्तों सहित, कार्योत्तर, अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2003

क्रमांक 878/80/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद, संचालक, कृषि विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर को दिनांक 16-2-2002 से 20-2-2002 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रसाद यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2238/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. के. शर्मा को उनके द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये रायपुर सत्र खण्ड के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2240/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. बी. एल. श्रीवास्तव को उनको पुनः कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर सत्र खण्ड के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2243/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निर्मला बेहार, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2245/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अवोनिन्द्र ठाकुर, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए तृतीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2247/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2247/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ज्ञानराम बंछोर, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए पंचम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2251/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शाहीद हुसैन, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए षष्टम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2003

क्रमांक 2253/686/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 2, 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रदीप कुमार मसीह, रायपुर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के लिए सप्तम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्रमांक डी/2537/866/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नरेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, अधिवक्ता, कवर्धा को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कवर्धा में अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2003

क्रमांक डी/2540/867/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री वेद प्रकाश मित्तल, अधिवक्ता, कोरबा को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोरबा में अतिरिक्त लोक अभियोजक के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

फा. क्र. 2735/893/21-ब (दो) 2003.—दण्ड प्रक्रिया की संहिता 1973 (सन् 2, 1973) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोपाल साहू धमतरी को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के धमतरी के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2003

फा. क्र. 2738/868/21-ब (दो) 2003.—दण्ड प्रक्रिया की संहिता 1973 (सन् 2, 1973) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सी. के. शर्मा, को पुन: कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये बिलासपुर सत्र खण्ड के कोरबा के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्त समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 1974/302/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सोमईखुर्द प.ह.नं. 15	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सोमईखुर्द माइनर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (रा) साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 अप्रैल 2003

क्रमांक 1975/303/प्र. 1/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	बरगडा प.ह.नं. 15	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	बरगडा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (रा) साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 823/प्र. 1/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पेन्ड्रीतराई प.ह.नं. 34	2.26	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पेन्ड्रीतराई जलाशय.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2458/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	श्यामपुर प.ह.नं. 25	0.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय के अंतर्गत श्यामपुर सब माइनर नहर नाली निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2459/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बीरूटोला प.ह.नं. 24	1.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2460/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गढ़बंजा प.ह.नं. 24	1.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय के अंतर्गत गढ़बंजा सब माइनर नहर नाली निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2461/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	कोहलाटोला प.ह.नं. 24	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपरिया जलाशय के अंतर्गत छुईखदान सब माइनर नहर निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2462/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	हाटबंजा प.ह.नं. 24	6.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	हाटबंजा डायवर्सन के अंतर्गत छुईखदान हाटबंजा नहर नाली निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2474/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	करेला प.ह.नं. 8	12.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भंडारपुर जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर करेला माइनर, वेस्ट वीयर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2003

क्रमांक 2475/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	बनबोड प.ह.नं. 8	4.42	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भंडारपुर जलाशय के अंतर्गत बनबोड मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 मार्च 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बांजीखोल प.ह.नं. 29	11.230	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़	औद्योगिक प्रयोजन हेतु "मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड सिलतरा क्षेत्र रायपुर के लिये" भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	रींवापार प.ह.नं. 19	0.926	सदस्य सचिव, परि. क्रियान्वयन इकाई प्रधान मंत्री सड़क योजना, जांजगीर-चाम्पा.	राहौद से खोखरी सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	सारसकेला प.ह.नं.10	0.56	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चाम्पा.	सारसकेला जलाशय के अंतर्गत छलका में आये भूमि अर्जित हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/29/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बाघामुड़ा प.ह.नं. 105/52	3.05	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	देवरी जलाशय के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक अ.वि.अ./भू-अर्जन/30/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गांजर प.ह.नं. 103	0.03	कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.).	गांजर जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 28 मार्च 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की उक्त धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांकेर	कांकेर	पाण्डरवाही	0.76	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 9/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पथरगढ़ी	8.43	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पुटपुरा	4.03	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मजगांव	1.81	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 12/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बलौदी	3.35	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	नहना	3.47	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 14/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मुंगेली	2.18	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 15/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन. 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	नवागांव	2.74	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 17/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	किरना	1.90	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 18/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जोता	4.30	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 फरवरी 2003

रा.प्र.क्र. 19/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	नेवासपुर	8.69	कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 26 मार्च 2003

क्रमांक 17 अ-67/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	लटोरी	1.81	मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. भटगांव.	नवापारा भूमिगत खदान में एयर साफ्ट हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 71/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बोडा सागर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.553 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1, 3	0.073
2/2	0.101
4/1	0.020
12/1	0.089
5/6, 5/7, 6/5	0.137
13/2	0.032
14/2	0.028
9	0.073
योग	0.553

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कुधरी सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 15 फरवरी 2003

क्र. 72/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.318+1.650=4.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अचरीतपाली सब माइनर निर्माण	
13/4	0.028
13/1	0.020
13/2	0.040
302/2	0.101
43/4	0.069
13/3	0.081
14/1	0.012
14/4	0.032
14/3	0.040
44	0.016
43/2	0.081
45/4	0.040
68/1	0.045
264	0.065
66	0.041
67	0.008
341	0.008
146	0.004
99/1	0.089
107/1	0.041
107/5	0.061
65/1	0.053
103	0.142
105/2	0.008
107/3	0.040
106/5	0.178
107/2	0.016
134	0.049
136	0.069
150	0.049
135/1	0.040
153	0.008
152	0.040
148 149	0.024
145	0.045
144	0.053
230	0.008
232/2 232/3	0.020
231	0.024
233 235	0.040
234	0.065
258/3	0.049
258/2	0.049
256/2	0.073
266/3	0.150
360/1	0.053
360/2	0.016
360/3	0.016
361/2	0.040
361/1	0.040
353/1	0.065
353/2	0.065
351/6	0.065
351/3	0.085
351/7	0.037
334	0.061
335/1	0.016
301/1	0.077
301/2	0.065
302/5	0.069
299/4	0.032
299/2	0.150

(1)	(2)
299/1	0.085
297	0.067
योग	3.318

अमलीडीह ब्रांच सब माइनर निर्माण

(1)	(2)
419/1	0.073
419/2	0.016
420/3	0.012
420/12	0.024
420/13	0.028
420/8	0.073
430/4	0.069
421/2	0.085
420/5	0.032
420/4	0.032
420/6	0.032
475/4	0.040
420/1	0.004
475/7	0.040
421/1	0.020
429/3	0.036
429/5	0.024
430/6	0.077
430/2	0.024
430/3	0.024
430/7	0.024
430/1	0.061
430/5	0.032
456/8	0.016
456/2	0.016
456/9	0.020
456/4	0.065
456/5	0.016
456/6	0.020
451/8	0.028
461/2	0.040
657/9	0.057
460	0.020
462	0.045
464/2	0.012
464/1	0.097
474/5	0.008
474/2	0.053
474/3	0.004
474/1	0.057
475/2	0.004
473	0.008
476/3	0.040
501	0.142
योग	1.650
कुल योग	4.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अचरीतपाली सब माइनर+ अमलीडीह ब्रांच सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्र. 45/अ-82//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
191/2	0.081
259/1	0.154
325/2	0.097
345/1	
181/1	0.105
362/2	0.028
325/1	0.089
345/2	0.178
361/1	0.020
361/2	0.105
150/5	0.057
198/2	0.097
150/6	0.036
163/6	0.024
174/1	0.125
163/1	0.105
182	0.057
137/4	0.016
174/2	0.008
198/3	0.098
137/3	0.105
187	0.178
174/3	0.069
181/2	0.028
343	0.061
352/1	0.210
362/1	0.162
137/1	0.012
137/2	0.097
150/7	0.098
150/8	0.069
198/1	0.105
326/1	0.178
327	0.210
328/1	0.098
299	0.125
362/3	0.061
163/2	0.073
191/3	0.089
191/1	0.134
165	0.069
197/1	0.069
351/1	0.170
351/4	0.328
योग 42	4.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-घाघरा जलाशय की कंचनडीह शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

क्र. 48/अ-82//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मालाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.627 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364/1	0.526
390/12	0.190
396/2	0.040
419/1	0.259
389/3	0.049
390/10	0.040
390/16	0.117

(1)	(2)	(1)	(2)
366/3	0.210	390/1	0.154
366/4	0.040	390/8	0.429
387/3	0.898	397/3	0.093
386	0.263	388/5	0.235
387/2	0.744	388/6	0.235
387/4	0.162	402/4	0.134
402/2	0.028	389/1	0.053
388/3	0.470	390/7	0.146
417/3	0.138	390/4	0.275
387/4	0.061	390/5	0.744
390/14	0.020	397/1	0.506
397/2	0.081	390/2	0.384
389/2	0.040	396/2	0.081
390/13	0.065	418/2	0.129
390/15	0.117	419/3	0.223
400/3	0.162	388/4	0.470
420/3	0.425	402/3	0.032
420/6	0.105	402/1	0.016
418/1	0.134	403/2	0.032
419/4	0.182	388/1	0.235
388/2	0.470	417/1	0.138
420/1	0.425	390/11	0.194
420/4	0.109	396/4	0.040
404	0.526	389/9	0.049
419/2	0.756	389/8	0.040
364/3	0.121	390/6	0.170
417/2	0.138	390/3	0.154
364/4	0.437	390/9	0.429
401	0.251	364/2	0.526
388/8	0.470	402/6	0.012
403/1	0.061	403/3	0.032
402/5	0.032	388/7	0.229
385/2	0.154		
387/1	0.995	योग	18.627
370/1	0.809		
420/2	0.425		
420/5	0.105		
389/5	0.059		
389/6	0.061		
389/7	0.040		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कांशी-नाला जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेन्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्र. 6/अ-82//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-फंदवानी, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149	0.162
150/3	0.973
151/2	0.113
159/3	0.073
162/1	0.182
166	0.171
18/1	0.125
18/2	0.061
19/1	0.032
19/2	0.045
19/3	0.016
19/4	0.008
26/2	0.016
26/10	0.012
26/1	0.141
27/2	0.421
29	0.50
28	0.028
31/2	0.101
32/1	0.125
32/2	0.129
31/1	0.012
51/3	0.056
51/5	0.077
51/9	0.049
41/1	0.020
51/6	0.020
51/10	0.041
45/1	0.077
45/2	0.129
48/1	0.101
48/2	0.008
48/4	0.032
48/3	0.036
73/2	0.162
75	0.283
56	0.121
57, 58	0.045
60	0.036
61/1	0.008
61/4	0.162
61/5	0.113
61/7	0.052
62/2	0.069
78/3	0.097
82, 83/1	0.113
85	0.154
86	0.154
58/2	0.045
83/2	0.032
456	0.049
459/4, 460/4	0.147
458/3	0.036
458/1	0.020
459/2, 460/2	0.146
योग	4.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आगर डायवर्सन योजना तहत नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्र. 7/अ-82//2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम, 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-फंदवानी कापा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.591 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.077
46/1, 47/2	0.113
20/1	0.174
45/3	0.081
45/2, 55	0.141
56	0.004
54	0.097
52, 53	0.057
96/1	0.069
99/1	0.028
251	0.028
246	0.053
120, 123	0.024
301/2	0.085
302/1, 2, 3	0.032
96/2	0.036
97/3	0.081
98	0.040
99/3	0.036
245/1	0.016
241	0.065
97/7	0.081
248/1	0.089
248/2	0.004
227	0.020
121/1	0.049
250/1	0.040
250/6	0.057
237	0.040
250/3	0.032
238	0.049
240	0.004
228	0.004
226	0.040
225/2	0.065
115	0.069
222/1	0.081
222/2	0.053
121/2	0.065
122	0.065
221	0.073
250/5	0.012
219	0.045
82/5	0.077
83/5, 6	0.141
योग 40	2.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.